

**संचालनालय चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश**

पीएमटी- 2009 (एमबीबीएस/बीडीएस) मे पाठ्यक्रम आवंटन हेतु द्वितीय काउंसलिंग की सूचना

पीएमटी 2009 की प्रथम काउंसलिंग के उपरांत म0प्र0 शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा की रिक्त सीट्स की पूर्ति हेतु द्वितीय काउंसलिंग का आयोजन दिनांक 28.08.09 से 31.08.09 तक प्रातः 10.00 से निम्न लिखित कार्यक्रम के अनुसार गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में किया जा रहा है । द्वितीय काउंसलिंग के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या निम्नानुसार है, जिनमें परिवर्तन संभावित है । उक्त काउंसलिंग में अखिल भारतीय कोटे की रिक्त सीटें उपलब्ध होने पर सम्मिलित की जा सकेंगी ।

काउंसलिंग कार्यक्रम प्रतिदिन 10.00 बजे से

S. NO	SHORT NAME OF COLLEGE	UNRESERVED				SCHEDULE CASTE				SCHEDULE TRIBE				O.B.C.									
		Open	MP	FF	PH	Open	MP	FF	P H	Open	MP	FF	P H	Open	MP	FF	PH						
1-	GMC, BHOPAL	01	--	--	--	01	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-		
2.	MGM, MC. INDORE	02	--	--	--	--	-	--	-	--	-	01	-	--	--	-	01	-	--	--	--	-	
3.	GR, MC. GWALIOR	03	--	01	--	---	-	01	-	--	--	-	--	-	--	--	-	--	-	--	--	-	
4.	NSCB, JABALPUR	34	--	--	--	--	-	04	-	--	--	-	01	-	01	--	-	--	-	--	--	--	-
5.	SS,MC REWA	18	--	--	--	--	-	06	-	--	--	-	07	-	--	--	-	--	-	--	--	--	-
6.	AUTO. DENTAL COLLEGE INDORE	13	--	01	--	--	-	01	-	--	--	-	03	-	--	--	-	02	-	--	--	--	-
	TOTAL	71	--	02	--	01	-	12	-	--	--	-	12	-	01	--	-	03	-	--	--	--	-

सीटों की संख्या परिवर्तनीय है ।

काउंसलिंग का कार्यक्रम – प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से

दिनांक	कार्यक्रम	श्रेणी	उम्मीदवार की श्रेणी/संवर्ग का नाम जिन्हे उपस्थित होना है ।	वे उम्मीदवार जिन्हें काउंसलिंग मे उपस्थित होना है
28.08.09	स्कूटनी	अनुसूचित जनजाति	अनु० जनजाति पी०एच०(विकलांग) अनु० जनजाति एम०पी० (सैनिक) अनुसूचित जनजाति (ओपन)	सभी पात्र उम्मीदवार सभी पात्र उम्मीदवार आप्ट फॉर वेंटिंग मेरिट क्र. 92, मेरिट क्रमांक 94, 96 से 99, 102 से 105, 107, 109 से 122, 124, 126 से 132 एवं 134 से 140, 141 से 200 तक
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (ओपन)	आप्ट फॉर वेंटिंग मेरिट क्र. 69, मेरिट क्र. 72 से 82, 84, 85, 87 से 93, 95 से 104, 107 से 122, 124 से 127, 129 से 131, 133, 134,136 से 140,141 से 200 तक

29.08.09	आवंटन	अनुसूचित जनजाति	अनु० जनजाति पी०एच०(विकलांग) अनु० जनजाति एम०पी० (सैनिक) अनुसूचित जनजाति (ओपन)	सभी पात्र उम्मीदवार सभी पात्र उम्मीदवार आप्ट फॉर वेंटिंग मेरिट क्र. 92, मेरिट क्रमांक 94, 96 से 99, 102 से 105, 107, 109 से 122, 124, 126 से 132 एवं 134 से 140, 141 से 200 तक
29.08.09	आवंटन	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (ओपन)	आप्ट फॉर वेंटिंग मेरिट क्र. 69, मेरिट क्र. 72 से 82, 84, 85, 87 से 93, 95 से 104, 107 से 122, 124 से 127, 129 से 131, 133, 134,136 से 140,141 से 200 तक
29.08.09	स्कूटनी	ओबीसी (अन्य पिछडा वर्ग) अनारक्षित एम०पी०(सैनिक) स्कूटनी अनारक्षित पी०एच० अनारक्षित	ओ०बी०सी० (अन्य पिछडा वर्ग) (ओपन) अनारक्षित एम०पी० (सैनिक) अनारक्षित पी०एच० (विकलांग) अनारक्षित (ओपन)	आप्ट फॉर वेंटिंग मेरिट क्र. 28, 100, 102, मेरिट क्र. 114 से 118, 120, 121, 124 से 140, 141 से 175 मेरिट क्र. 14 से 24 तक आप्ट फॉर वेटिंग क्र. 11,12,14,16 एवं 18 मेरिट क्र. 301 से 400 तक

30.08.09	आवंटन	ओबीसी (अन्य पिछडा वर्ग) अनारक्षित एम0पी0 (सैनिक) अनारक्षित पी0एच0 अनारक्षित	ओ0बी0सी0 (अन्य पिछडा वर्ग) (ओपन) अनारक्षित एम0पी0 (सैनिक) अनारक्षित पी0एच0 अनारक्षित (ओपन)	आप्ट फॉर वेंटिंग मेरिट क्र. 28, 100, 102, मेरिट क्र. 114 से 118, 120, 121, 124 से 140, 141 से 175 मेरिट क्र. 14 से 24 तक आप्ट फॉर वेंटिंग क्र. 11,12,14,16 एवं 18 मेरिट क्र. 301 से 400 तक
	स्कूटनी	अनारक्षित	अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 401 से 600 तक
31.08.09	आवंटन	अनारक्षित श्रेणी	अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 401 से 600 तक

काउंसिलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी निर्देश :-

- 1— प्रथम काउंसिलिंग में अनुपस्थित उम्मीदवार भी द्वितीय काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं ।
- 2— प्रथम काउंसिलिंग में किसी कारण से अपात्र घोषित उम्मीदवार अपने अभिलेख पूर्ण कराकर द्वितीय काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं ।
- 3— आप्ट फार वेटिंग के सभी उम्मीदवारों को उनके कटेगरी में मेरिट के अनुसार काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता होगी ।
- 4— पीएमटी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसिलिंग में उपस्थित होने पर जिनका आवंटन स्वशासी दंत एवं चिकित्सा महाविद्यालय में प्राप्त होता है ऐसे उम्मीदवार सुरक्षा निधि के रूप में रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के वे उम्मीदवार जिनके माता पिता/संरक्षक की आय रुपये 1.80 लाख से अधिक है तथा समस्त अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को रुपये 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट पीएमटी नियम-2009 के नियम 7.0 के अनुसार "संचालक चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल" के पक्ष में देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा, तदुपरान्त ही उम्मीदवार को आवंटन पत्र प्रदान किया जावेगा, ।
- 5— प्रथम काउंसिलिंग में एम0बी0बी0एस0 कोर्स पर आवंटन प्राप्त छात्रों को पुर्नआवंटन की पात्रता नहीं होगी ।
- 6— स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से बी0डी0एस पाठ्यक्रम में सीट आवंटन प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के प्राप्त आवेदन अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सीटों का री-एलोकेशन नियम 9.9 (अ) के अन्तर्गत उम्मीदवार की श्रेणी/संवर्ग में सीट रिक्त होने पर मेरिट के आधार पर किया जा सकेगा ।
- 7— पीएमटी प्रवेश परीक्षा नियम-2009 के बिन्दू क्रं. 9.5 के अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए आवश्यक हैं ।

- 8— किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी।
- अ. यदि उल्लेखित काउंसलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी।
- ब. एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
- स. भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा-निर्देशानुसार दृष्टि एवं बधिर अथवा भुजाए (**Upper Limb**) के विकलांग उम्मीदवार एम.बी.बी.एस के लिए अपात्र होंगे।
- उ.
- 9— सभी सीटों का आवंटन उम्मीदवार की व्यापम द्वारा घोषित श्रेणी/संवर्ग में मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
- 10— उक्त आयोजित की जा रही काउंसलिंग के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को पृथक से काल लेटर नहीं भेजे जा रहे हैं। इस विज्ञापन के अनुसार ही उम्मीदवारों को उपस्थित होना है। यदि उम्मीदवार इस सूचना से वंचित रह जाते हैं तो यह उनके स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही मान्य नहीं की जावेगी।
- नोट:— द्वितीय काउंसलिंग के उक्त प्रोग्राम की जानकारी संचालनालय की वेबसाईट **www.mp.nic.in. medicaleducation** पर भी उपलब्ध है।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश